

प्रेस नोट-दिनांक 01.10.2024

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

□थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा एक पिकअप वाहन में वध हेतु क्रूरता पुर्वक लादकर ले जाए जा रहे कुल 06 राशि गोवंशों को किया बरामद व तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

चन्दौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशानुसार जनपद मे शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व में थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा एक पिकअप वाहन में वध हेतु क्रूरता पुर्वक लादकर ले जाए जा रहे कुल 06 राशि गोवंशों को किया बरामद व तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कार्यवाही-दिनांक 01.10.2024 को 30नि0 दिलीप श्रीवास्तव मय हमराहियान द्वारा दौरान चेकिंग मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक पिकअप योद्धा वाहन जिसमें कुल 06 राशि गोवंशो (साड़) को क्रूरता पुर्वक बाँधकर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है प्राप्त सूचना पर उ.नि. दिलीप श्रीवास्तव मय हमराहियान द्वारा एनएच 02 हाईवे पर बरठी कमरौर ग्राम के सामने चेकिंग के दौरान एक पीकअप योद्धा वाहन मय गोवंशों की बरामदगी करते हुए एक शातिर गौ तस्करो को गिरफ्तार किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 176/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

धनन्जय सिंह पुत्र प्रेमनाथ सिंह निवासी ग्राम नुआव पो0 कविलासपुर पंचायत मसौड़ा थाना दुर्गावती जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 45 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- 1.एक पिकअप योद्धा वाहन संख्या BR-45 GA-7736
- 2.एक की पैड मोबाइल
- 3.06 राशि गोवंश

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण-

- 1.निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा जनपद चन्दौली
- 2.उप निरीक्षक दिलीप श्रीवास्तव थाना सैयदराजा चन्दौली ।

थाना सैयदराजा जनपद चंदौली

पुलिस अधीक्षक चंदौली, श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना सैयदराजा पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही।

थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा गौ तस्करी करने वालों के विरुद्ध की गयी गैग्रेस्टर की कार्यवाही

आपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय और आतंक का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी गैग्रेस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।

इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करता है गोवंश की तस्करी जैसे अपराध कारित करते है।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशानुसार जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान जनपद मे शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा मुकेश कुमार तिवारी के कुशल निर्देशन में थाना सैयदराजा पर गठित टीम द्वारा अपराधियों एवं शराब तस्करों के विरुद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी द्वारा थाना क्षेत्र में गौ तस्करी करने वाले अभियुक्तगण गैंग लीडर राजबली यादव पुत्र फैलू यादव निवासी शिवदशा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र 42 वर्ष व गैंग सदस्य धर्मेन्द्र चौहान S/O रामनिवास चौहान निवासी नोनियापुर थाना मुफसिल जिला बक्सर बिहार उम्र 28 वर्ष के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 175/23 धारा 3(1) यूपी गैग्रेस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करायी गयी।

अभियुक्तगण का विवरण-

गैंगलीडर-

गैंग लीडर राजबली यादव पुत्र फैलू यादव निवासी शिवदशा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र 42 वर्ष

गैंगसदस्य-

धर्मेन्द्र चौहान S/O रामनिवास चौहान निवासी नोनियापुर थाना मुफसिल जिला बक्सर बिहार उम्र 28 वर्ष

अपराधिक इतिहास का विवरण-

गैंग लीडर- राजबली यादव पुत्र फैलू यादव निवासी शिवदशा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र 42 वर्ष

1.मु.अ.सं. 02/2019 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना सैयदराजा जनपद चंदौली

2.मु.अ.सं. 108/2019 धारा 420/467/468/471 भा.द.वि.थाना सैयदराजा जनपद चंदौली

3.मु.अ.सं. 196/2022 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना सैयदराजा जनपद चंदौली

गैंगसदस्य- धर्मेन्द्र चौहान S/O रामनिवास चौहान निवासी नोनियापुर थाना मुफसिल जिला बक्सर बिहार उम्र 28 वर्ष

1.मु.अ.सं. 196/2022 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना सैयदराजा जनपद चंदौली

2.मु.अ.सं. 0197/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सैयदराजा जनपद चंदौली

कार्यवाही करने वाली टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

2.का0 विष्णु प्रजापति थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

3.का0 बृजेश चौहान थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

□थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 कंटेनर व 01 डीसीएम में क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाये जा रहे कुल 40 राशि गोवंश बरामद व 05 शातिर पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार।

चंदौली:- श्री आदित्य लांगहे पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा जनपद में गोवंशों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवम् जुर्म जरायम के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन एवम् आशुतोष क्षेत्राधिकारी पं.दी.द.उ.नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 कंटेनर व 01 डीसीएम में क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाये जा रहे कुल 40 राशि गोवंश बरामद व 05 शातिर पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना अलीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

■□थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 30.09.2024 को पीडब्लूडी गुरुकुलम स्कूल के सामने पेट्रोल पम्प बहद ग्राम महेवा के पास चेकिंग के दौरान 01 कंटेनर वाहन संख्या कंटेनर UP 21CN 3658 को पुलिस बल द्वारा पकड लिया गया। कंटेनर वाहन से कुल 27 साड़ बैल(26 राशि जिन्दा व 01 राशि मृत) बरामद कर मौके से 03 अभियुक्तगण 1.नुसरत पुत्र स्व0 सराफी निवासी रावतपुर थाना कांठ, जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 40 वर्ष 2. शाहिद अली पुत्र मुराद शेर निवासी रहमतपुर थाना कांठ जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 28 वर्ष 3. लुकमान पुत्र स्व0 रहीम निवासी रहमतपुर थान कांठ जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 52 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके द्वारा पशुओ को क्रूरता पूर्वक बांधकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 251/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 325 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर गोवंशों की तस्करी में शामिल अन्य अभियुक्त की तलाश की जा रही है ।

अभियुक्तगण का नाम पता, बरामदगी व अपराधिक इतिहास का विवरण-

1.नुसरत पुत्र स्व0 सराफी निवासी रावतपुर थाना कांठ, जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 40 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 219/2024 धारा 5/8 गो0नि0अधि0 व 11(1)(d) पशु क्रू0 निवारण अधि0 थाना सैनी जिला कौशाम्बी

2.मु0अ0सं0 129/2018 धारा 3/5/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रू0 निवा0 अधि0 थाना काँठ जिला शाहजहाँपुर

3.मु0अ0सं0 690/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना काँठ जिला शाहजहाँपुर

4.मु0अ0सं0 251/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 325 बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.शाहिद अली पुत्र मुराद शेर निवासी रहमतपुर थाना कांठ जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 28 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 251/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 325 बीएनएस

3.लुकमान पुत्र स्व0 रहीम निवासी रहमतपुर थान कांठ जिला शाहजहांपुर उम्र करीब 52 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-272/2021 धारा धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 379/411 भादवि थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

2.मु0अ0सं0-141/2024 धारा धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 429 भादवि तथा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चन्दौली जनपद चन्दौली ।

3.मु0अ0सं0-184/23 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधि0 थाना चन्दौली जनपद चन्दौली ।

4.मु0अ0सं0 104/23 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रू0निवा0 अधि0 थाना बड्डूपुर जिला बाराबंकी ।

5.मु0अ0सं0 182/2023 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधि0 थाना बड्डूपुर जिला बाराबंकी ।

6.मु.अ.सं. 251/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 325 बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

कुल 27 राशि सांड (26 राशि जिन्दा व 01 राशि मृत)

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

निरीक्षक अपराध रमेश कुमार यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

का0 सुमन्त राव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

का0 दीपक यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

का0 शैलेन्द्र यादव-द्वितीय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

■ □ थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 01.10.2024 को रेंज हास्पिटल के सामने बहद ग्राम पचफेड़वाँ के पास चेकिंग के दौरान 01 डीसीएम वाहन संख्या HR-45 D-6951 को पुलिस बल द्वारा पकड लिया गया। उक्त डीसीएम वाहन से कुल 13 राशि गोवंश 08 राशि गाय व 05 राशि गाय के बच्चे(03 राशि बछडा 02 राशि बछिया) बरामद कर मौके से 02 अभियुक्तगण चालक 1. जगदीश कुमार पुत्र रुलर राम निवासी वीपीओ कुंजपुरा थाना कुंजपुरा जिला करनाल हरियाणा उम्र करीब 58 वर्ष व खलासी 2. जितेन्द्र पुत्र जगदीश निवासी प्रीतम प्राकलोनी थाना सेक्टर 32, जिला करनाल हरियाणा उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके द्वारा पशुओ को क्रूरता पूर्वक बांधकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 254/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर गोवंशों की तस्करी में शामिल अन्य अभियुक्त की तलाश की जा रही है।

अभियुक्तगण का नाम पता, बरामदगी व अपराधिक इतिहास का विवरण-

1.जगदीश कुमार पुत्र रुलर राम निवासी वीपीओ कुंजपुरा थाना कुंजपुरा जिला करनाल हरियाणा उम्र करीब 58 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 254/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 325 बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.जितेन्द्र पुत्र जगदीश निवासी प्रीतम प्राकलोनी थाना सेक्टर 32, जिला करनाल हरियाणा उम्र करीब 25 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 254/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 325 बीएनएस

विवरण बरामदगी-

1.कुल 13 राशि गौवंश 08 राशि गाय व 05 राशि गाय के बच्चे(03 राशि बछडा 02 राशि बछिया) बरामद

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।

2.हे0का0 बच्चा सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।

3.का0 राहुल खरवार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।

4.का0 रंजीत कुमार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।

5.हे0का सुधीर सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

□थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा गोवंश की तस्करी में संलिप्त वांछित कुल 03 गोतस्कर को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली:- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली विनय कुमार सिंह के निर्देशन एवम् क्षेत्राधिकारी पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा कुल 03 द्वारा गोवंश की तस्करी में संलिप्त कुल 03 वांछित गोतस्कर को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

■□थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अलीनगर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 74/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 429 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त वाहन स्वामी शाने(स्नेह) आलम पुत्र यामीन निवासी ग्राम हिलालीसराय थाना नखासा जिला सम्भल उ.प्र. उम्र 32 वर्ष को पंचफेडवा अन्डर पास थाना अलीनगर जनपद चन्दौली से आज दिनांक 01.10.2024 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

दिनांक 01.05.2024 को सिंधीताली पुल NH 19 पर हिकमत अमली से जाम लगाकर चेकिंग की जा रही थी जिस दौरान पुलिस की सक्रियता व चेकिंग को देखकर एक कंटेनर वाहन नं० UP 21BN 9062 पर लदे 23 अदद साइ (बैल) व 01 अदद गाय (मृत) दशा में, को वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था जिसपर से चालक फरीद आलम व खलासी बहारे आलम को गिरफ्तार किया गया था। बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 74/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा 429 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित थी उक्त कंटेनर का पंजीकृत वहन स्वामी अभियुक्त शाने(स्नेह) आलम पुत्र यामीन निवासी ग्राम हिलालीसराय थाना नखासा जिला सम्भल उ.प्र. उम्र 32 वर्ष लगातार फरार चल रहा था तथा मुकदमा उपरोक्त में वांछित था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.शाने(स्नेह) आलम पुत्र यामीन निवासी ग्राम हिलालीसराय थाना नखासा जिला सम्भल उ.प्र. उम्र 32 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1.मु.अ.सं. 74/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा 429 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम-

1.निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.उ.नि. अमित सिंह प्रभारी चौकी भूपौली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

■ □ थाना अलीनगर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 249/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. लव कुश गुप्ता पुत्र बबुली गुप्ता निवासी डोमपुर थाना कछवा जिला मिर्जापुर उम्र 22 वर्ष 2. दीपक राम पुत्र राजनाथ निवासी हरदरा थाना कछवाँ जिला मिर्जापुर उम्र 25 वर्ष को गोधना अण्डर पास के नीचे थाना अलीनगर जनपद चन्दौली से आज दिनांक 01.10.2024 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

दिनांक 29.09.2024 को समय करीब 19.10 बजे सिंधीताली ओवर ब्रीज के पास चेकिंग के दौरान बाद 07 अदद मैजिक वाहन भी आ गये, जिनमें से कुछ के पिकअप के चालक पिकअप से उतर कर भागना चाहे कि मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा सभी मैजिक चालको को एक बारगी पकड लिया गया। सातो पिकअप वाहनो से कुल 07 राशि गाय व 01 राशि बछिया बरामद किया गया। जिनको क्रूरता पूर्वक बांधकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। मौके से दोनो अभियुक्तगण फरार हो गये थे। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 249 /24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित थी। अभियुक्तगण 1.लवकुश गुप्ता व 2.दीपक राम फरार चल रहे थे तथा मुकदमा उपरोक्त में वांछित थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. लव कुश गुप्ता पुत्र बबुली गुप्ता निवासी डोमपुर थाना कछवा जिला मिर्जापुर उम्र 22 वर्ष
2. दीपक राम पुत्र राजनाथ निवासी हरदरा थाना कछवाँ जिला मिर्जापुर उम्र 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1. मु.अ.सं. 249/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
2. उ.नि.मनीष कुमार सिंह प्रभारी चौकी जफरपुरवाँ थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
3. हे0का0 सुधीर सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
4. का. राम सूरत चौहान थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

□थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा बकरियों की चोरी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली:- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांगहे के द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु पंजीकृत अभियोगों के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली विनय कुमार सिंह के निर्देशन एवम् क्षेत्राधिकारी पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा थाना अलीनगर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 247/24 धारा 3(1) उ.प्र.गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली से सम्बन्धित गिरोह के सक्रिय सदस्य वांछित अभियुक्त अरविन्द मुसहर पुत्र मुन्ना मुसहर निवासी चकिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 01.10.2024 को सकलडीहा तिराहा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1. अरविन्द मुसहर पुत्र मुन्ना मुसहर निवासी चकिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त–

1. मु०अ०सं० 250/2023 धारा 379/411 भादवि थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
2. मु०अ०सं० 403/2023 धारा 457/380/411 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
3. मु०अ०सं० 188/2023 धारा 379/411 भादवि थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली
4. मु०अ०सं० 247/24 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
2. निरीक्षक अपराध रमेश कुमार यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
3. का० अनिल कुमार यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 01.10.2024

थाना व जनपद चंदौली

- पुलिस अधीक्षक चंदौली, श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना चंदौली पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही।
- थाना चंदौली पुलिस द्वारा गौ तस्करी करने वालों 04 अभियुक्त के विरुद्ध की गयी गैग्रेस्टर की कार्यवाही
- आपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय और आतंक का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी गैग्रेस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।
- इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करता है गोवंश की तस्करी जैसे अपराध कारित करते है।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशानुसार जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान जनपद में शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चंदौली के नेतृत्व में दिनांक 30.09.2024 को कोतवाली चंदौली पुलिस द्वारा गोवंश तस्करो के विरुद्ध गैग्रेस्टर एक्ट अभियान के क्रम में थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा उक्त प्रकरण के अभियुक्त-गैंगलीडर 1. बाठे उर्फ कमलेश बिन्द पुत्र स्व: रामअधार बिन्द निवासी शहवाजपुर थाना चांद जनपद कैमूर (भभुआ) उम्र 26 वर्ष गैंगसदस्य 2. रवि कुमार बिन्द पुत्र किशुन बिन्द निवासी शहवाजपुर थाना चांद जनपद कैमूर (भभुआ) उम्र 24 वर्ष व गैंगसदस्य 3. राजू कुमार पुत्र श्यामलाल बिन्द निवासी लोहरा थाना चैनपुर जनपद कैमूर (भभुआ) उम्र 25 वर्ष को मु0अ0सं0 35/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना व जिला चंदौली द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को गौवंशो की तस्करी करते हुए गिरफ्तार कर उपरोक्त अभियुक्तगण को जेल भेजा गया था, जिनको मा0 न्यायालय द्वारा जमानत मुचलके पर रिहा किया गया है तथा विवेचना के दौरान वाहन स्वामी 4. धीरज कुमार पुत्र छोटे लाल निवासी 51 एम. जी. मार्ग हरिहर नगर कालोनी रेलवे लाइन के किनारे जार्ज टाउन जिला प्रयागराज उ०प्र० उम्र 28 वर्ष का नाम प्रकाश में आया जिसे गिरफ्तार कर जिला कारागार चौका घाट भेजा गया था जो जिला कारागार वाराणसी में निरुध है। जिनके खिलाफ अलग-अलग तिथियों में मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। इनके खिलाफ दिनांक 30/09/2024 को मु0अ0स0 242/24 धारा 3(1) यू0पी0 गैग्रेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

गैंगलीडर-

1. बाठे उर्फ कमलेश बिन्द पुत्र स्व: रामअधार बिन्द निवासी शहवाजपुर थाना चांद जनपद कैमूर (भभुआ) उम्र 26 वर्ष

गैंगसदस्य-

1. रवि कुमार बिन्द पुत्र किशुन बिन्द निवासी शहवाजपुर थाना चांद जनपद कैमूर (भभुआ) उम्र 24 वर्ष

2. राजू कुमार पुत्र श्यामलाल बिन्द निवासी लोहरा थाना चैनपुर जनपद कैमूर (भभुआ) उम्र 25 वर्ष

3. धीरज कुमार पुत्र छोटे लाल निवासी 51 एम. जी. मार्ग हरिहर नगर कालोनी रेलवे लाइन के किनारे जार्ज टाउन जिला प्रयागराज उ०प्र० उम्र 28 वर्ष

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

1. 35/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना व जिला चन्दौली

2. मु०अ०स० 242/24 धारा 3(1) यू०पी० गैग्रेस्टर एक्ट थाना व जिला चन्दौली